

प्रपत्र II

कार्यालय, बिहार शिक्षा परियोजना, पटना

पत्रांक 588

दिनांक 17.03.18

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

इडिफाई स्कूल भावलपुर मरची महुली रोड बाई-पास थाना पटना।

विषय: बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसूचीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/महाशया,

आपके आवेदन-पत्र और उसके क्रम में में आपके द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख के आलोक में आपके विद्यालय इडिफाई स्कूल भावलपुर मरची महुली रोड बाई-पास थाना पटना को कक्षा 01 से 08 कक्षा तक संचालन हेतु तीन वर्षों 9.03.2018 से 8.03.2021 अवधि के लिए औपबंधिक प्रसूचीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रसूचीकृति निम्न-शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :

1. प्रसूचीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा VIII तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2010 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेंगे तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेंगे, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में इडिफाई स्कूल, को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचारण करेगा।
5. सौसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का परीक्षण नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इनकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे:
 - i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोकने अथवा उत्तीर्ण करने के संबंध में समय पर बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली में किये जाने वाले संशोधन एवं तदनुसरण दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायगा।
 - ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - iii. किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - iv. प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग /विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में, उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 31 मार्च 2019 के पूर्व के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।
 - vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

Principal

EDIFY SCHOOL PATNA

Dhawalpura, Marchi Mahuli Road
Patna, Bihar Pin : 800009
Affiliated to CBSE, New Delhi
Affiliation No: 330901, School Code:65893

Manager

EDIFY SCHOOL PATNA


Dhawalpura, Marchi Mahuli Road
Patna, Bihar Pin : 800009
Affiliated to CBSE, New Delhi
Affiliation No : 330901 School Code:65893

- viii. शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राक्काणों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा।
विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् :-
विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल - 4000 वर्गफीट।
कुल निर्मित क्षेत्र - 2500 वर्गफीट।
खेल के मैदान - उपलब्ध है।
वर्गकक्षों की कुल संख्या- 10
प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष- 2
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय- बालक-5 बालिका-5
पेयजल की सुविधा- उपलब्ध
गद्याह्न भोजन के लिए रसोईघर- 1
बाघारहित पहुँच - उपलब्ध
शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय - उपलब्ध
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संध्या अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलाके में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या PAT/RTE/PVT/447 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के द्वारा समय-समय पर भोंग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. आपके विद्यालय का औपबंधिक निबंधन करने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि अगर भविष्य में यह पाया जाता है कि विद्यालय द्वारा कोई गलत सूचना/अभिलेख दिया गया है, तो विद्यालयों का निबंधन रद्द करते हुए उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।


Principal

EDIFY SCHOOL PATNA
Dhawalpura, Marchi Mahuli Road
Patna, Bihar Pin: 800009
Affiliated to CBSE, New Delhi
Affiliation No.: 330901, School Code: 65893

विश्वासगाजन


जिला कार्यक्रम प्रदायिका
प्रा.शि. एवं सर्व शिक्षा अभियान
Manager
EDIFY SCHOOL PATNA
Dhawalpura, Marchi Mahuli Road
Patna, Bihar Pin: 800009
Affiliated to CBSE, New Delhi
Affiliation No.: 330901 School Code: 65893